केन्द्रीय सूचना आयोग
द्वितीय तल, अगस्त कांति भवन,
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110066

दिनांक: 15.2.2016

प्रथम अपील संख्याः CIC/AA/A/2016/32
CICOM/A/2016/00031
संदर्भ संचिका संख्याः CICOM/R/2015/00976

अपीलकर्ता : श्री अमरजीत,
212, महिपालपुर,
नई दिल्ली–110037

1. दिनांक 15.01.2016 की प्रस्तुत प्रथम अपील जो दिनांक 15.01.2016 को इस आयोग में डायराईज हुई, **श्री अमरजीत, 212, महिपालपुर, नई दिल्ली–110037** द्वारा संस्थित की गयी है और यह अपीलकर्ता के दिनांक 07.10.2015 का आवेदन के संदर्भ में आर.टी.आई प्रकोष्ठ ने आयोग के **श्री उमेश चंद्र जोशी, उप–पंजीयक (सू. आयुक्त.– एस.ए) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी** को ऑनलाईन के द्वारा दिनांक 04.11.2015 को प्रेषित किया के संबंध में है।

2. **श्री उमेश चंद्र जोशी, उप–पंजीयक (सू. आयुक्त.– एस.ए) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी** ने आर.टी.आई. आवेदन के जवाब में अपने पत्र दिनांक 02.11.2015 द्वारा अवगत किया है **(प्रति संलग्न)** कि अपीलकर्ता का पत्र दिनांक 01.09.2015 **(प्रति संलग्न) श्री प्रकाश, उप–पंजीयक (मु. सू. आयुक्त) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी** को अग्रिम कार्यवाही के लिए दिनांक 30.10.2015 को प्रेषित कर दिया गया है। अतः वांछित सूचना **श्री प्रकाश, उप–पंजीयक (मु. सू. आयुक्त) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी** से प्राप्त करें।

3. बहरहाल, जहाँ तक अपीलकर्ता के आवेदन के माध्यम से चाही गयी सूचना का संबंध है यह स्पष्ट है कि उन्हें चाही गयी सूचना प्रदान नहीं की गयी है। **श्री प्रकाश, उप–पंजीयक (मु. सू. आयुक्त) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि अगले 5 कार्यदिवसों के भीतर उक्चत प्रपत्रों के संबंध में की गई कार्यवाई की सूचना अपीलकर्ता को प्रेषित करें।**

O/C

C.I.C./के० सू० आ०
ISSUED
1
17 FEB 2016
D. No.
Initials

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
17 FEB 2016
Initials

4. उपरोक्तानुसार इन टिप्पणियों के साथ अपील निस्तारित की जाती है।

5. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई है, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, (पता– कक्ष संख्या–326, 'सी' विंग, अगस्त कांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली–110 066) में की जा सकती है।

अचला सिन्हा

अचला सिन्हा
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं अपर सचिव

संलग्न: <u>यथोपरि</u>

प्रतिलिपि: 1. श्री प्रकाश, उप–पंजीयक (मु. सू. आयुक्त) एवं केन्द्रीय जनसूचना अधिकारी ।
2. CPIO, RTI Cell.

12/2/16